भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 640

दिनांक 06 फरवरी, 2024

कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

640. डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए पहचान किए गए स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए संपूर्ण देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों की अवसरंचना का उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम रहे;

(च) राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गैर-सरकारी संगठनों और कृषि विश्वविद्यालयों की नियंत्रणाधीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की क्रमश: संख्या कितनी है; और

(छ) क्या विगत तीन वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में किए गए अनुसंधान के संबंध में प्रायोगिक/परीक्षण प्लांट से परे कोई तकनीक/पद्धति लागू की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अंडमान एवं निकोबर द्वीप समूह सहित देश में कृषि विज्ञान केंदों (केवीके) की संख्या 731 है।

(ख) एवं (ग): राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने ''अनुसंधान शिक्षा और विस्तार'' पर प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की स्थापना की सिफारिश की है। नए बनाए गए जिलों में नए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की स्थापना निर्धारित क्रियाविधि और दिशा-निर्देश के अनुसार एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को प्रशासनिक भवन, किसान हॉस्टल, प्रदर्शन यूनिटें, उपकरण और कृषि मशीनरी जैसी बुनियादी आधारिक संरचना सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। समय-समय पर आवश्यकतानुसार, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को दलहनी बीज हब्स, मृदा परीक्षण किट, सूक्ष्म-सिंचाई प्रणाली, एकीकृत कृषि प्रणाली यूनिटों, कृषि मशीनरी और उपकरण जिला-कृषि मौसम विज्ञान यूनिटों आदि जैसी अवसंरचना सुविधाओं से भी सुदृढ़ किया गया है।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) जो नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, के माध्यम से 2015 में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (थर्ड पार्टी इवेलुएशन) किया गया था। इस मूल्यांकन के बारे में मुख्य टिप्पणियां और निष्कर्ष इस प्रकार थे:-

- यह पाया गया कि केवीके लाभकारी प्रभावों के साथ फील्ड स्तर पर नई प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
- कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के पास बेहतर तकनीकी विशेषज्ञता और प्रदर्शन योग्यता होने के कारण अन्य सेवा प्रदाताओं के अपेक्षाकृत प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के क्षेत्र में आगे हैं।
- लगभग 40 प्रतिशत किसानों ने रिपोर्ट की है कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा प्रसारित किए जाने के तुरंत बाद ही प्रौद्योगिकी क्रियान्वित किया और 25 प्रतिशत किसानों ने अगले कृषि मौसम से शुरू कर दिया।
- औसतन कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) प्रतिवर्ष 43 गांवों तथा 4300 किसानों को कवर करता है। इनमें से कवर किए गए 80% गांव कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) से 10 किलोमीटर दूर हैं।
- 96% किसानों के अनुरोध पर कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) ने ध्यान दिया।
- किसानों द्वारा अपनाई गई 42% प्रौद्योगिकियों के फलस्वरूप उच्च उत्पादकता हुई, 33% उच्च कृषि आय प्राप्त हुई तथा 20% तक कठिन परिश्रम में कमी आई।
- लगभग प्रशिक्षित 25% व्यक्तियों ने स्व-रोजगार उद्यमों की शुरूआत की।
- कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के हस्तक्षेप से लगभग 80% किसानों ने अपने कृषि पैटर्न में संशोधन किया जो फसलों, फसल पैटर्न में परिवर्तनों, बीज रोपण तकनीक, उर्वरकों तथा नाशीजीवनाशकों के उपयोग, प्रयुक्त मशीन में परिवर्तनों तथा जल उपयोग पैटर्न के विविधीकरण से संबंधित थे।

वर्ष 2020 में पुन: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल, नई दिल्ली के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के मूल्यांकन प्रभाव पर अध्ययन किया गया। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे:-

- औसतन कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) ने अपनी पहुंच लगभग 90-100 गांवों तक बनाई। अपने सशक्त आईसीटी हस्तक्षेपों से गांवों तक यह पहुंच बढ़कर प्रति केवीके 200 गांव तक हो गई।
- कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के आउटरीच कार्यक्रमों में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2019-20 तक बढ़कर खेत पर परीक्षण में 51%, फ्रंटलाइन प्रदर्शन में 61%, प्रशिक्षित किए गए किसानों में 16% तथा प्रशिक्षित किए गए विस्तार कार्मिकों में 35% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कृषक महिलाओं के समानुपात में प्रशिक्षण वृद्धि वर्ष 2012-13 में 30% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 37% हो गई।
- वर्ष 2012-13 से वर्ष 2019-20 तक भेजे गए संक्षिप्त संदेश की संख्या में 142% की वृद्धि हुई। इसी तरह वर्ष 2012-13 से वर्ष 2019-20 के दौरान कवर किए किसानों की संख्या में 135% की वृद्धि हुई। वाहट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन से 4 गुना आउटरीच बढ़ गया है।

- उक्त अवधि के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा बीज उत्पादन में 32% की वृद्धि हुई है और रोपण सामग्री उत्पादन में 117% वृद्धि हुई है।

(च) राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) तथा कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की संख्या क्रमश: 38,66,101 और 509 हैं।

(छ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अनुसंधान से विकसित प्रौद्योगिकियों को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा मूल्यांकन करने के लिए किसानों के खेतों तक ले जाया गया है ताकि विभिन्न कृषि पद्धतियों के तहत उनकी स्थिति विशिष्टता का पता लगाया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) किसानों के खेतों में अनेक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करते हैं ताकि किसान उन्हें आगे चलकर अपना सकें। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों के खेतों में 1.20 लाख मूल्यांकन परीक्षण किया गया तथा फसल, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि मशीन और अन्य उद्यमों से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर 8.09 लाख प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

****